

अब सीधे कार्रवाई नहीं, उद्योगों को मिलेगा सुधार का मौका

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने थर्ड पार्टी आडिट स्कीम लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था में अब किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या कारखाने पर सीधे कार्रवाई नहीं होगी। पहले नोटिस देकर सुधार का मौका दिया जाएगा, फिर दोबारा नोटिस दी जाएगी और अंत में उच्च अधिकारी की अनुमति के बाद ही अभियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे उद्योगों को अनावश्यक दबाव से राहत मिलेगी।

प्रदेश सरकार ने कारखानों की निरीक्षण प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए थर्ड पार्टी आडिटर्स



(श्रम एवं तकनीकी) के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन कर दी है। अब तक 13 संस्थानों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कंप्लायंस आडिटर्स (नियम पालन की जांच करने वाला) की नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी किया गया है और इसे जल्द ही

आनलाइन शुरू किया जाएगा। निरीक्षण की चेकलिस्ट और पूरी प्रक्रिया भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। नई योजना के तहत सभी प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों-कम, मध्यम और उच्च जोखिम में बांटा गया है। कम जोखिम वाली इकाइयों (10 से 50 श्रमिक) को मोटर वाहन अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, बीडी एवं सिगार अधिनियम, अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम और कारखाना अधिनियम जैसे कानूनों के तहत हर पांच वर्ष में एक बार स्व-प्रमाणन आधारित निरीक्षण करना होगा। मध्यम जोखिम वाली इकाइयों (50 से 100

श्रमिक) का हर तीन वर्ष में थर्ड पार्टी आडिट कराया जाएगा। वहीं, उच्च जोखिम वाली इकाइयों (100 से अधिक श्रमिक या खतरनाक उद्योग) में विभागीय निरीक्षण हर वर्ष या आवश्यकतानुसार किया जाएगा। श्रम विभाग के अनुसार यह नई व्यवस्था उद्योगों के लिए बेहद उपयोगी है। इससे अनावश्यक निरीक्षण और कार्रवाई का डर कम होगा, व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। साथ ही, पारदर्शिता बढ़ने से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।